(2.2)

(1)

संख्याः 299 / लो0नि0–2 /04–16(

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग उत्तरांचल,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनॉक 28, फरवरी, 2004

विषय:– वित्तीय वर्ष 2003–2004 मे 237नये कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा स्वीकृति

56
3-04

महोदय,

उपर्युक्त विषय मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची मे उल्लिखित उपलब्ध कराये गये 237(दो सौ सैंतीस कार्यो के) आगणनो लागत रू016712.84 लाख के आगणन द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्य पूर्ण पायी रू0 16331.03 लाख (रू0एक सौ तरेसठ करोड़ इकतीस लाख मात्र) की लागत केआगणन की उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्र वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू0 66.05लाख (रू0 छियासठ लाख पॉच हजार मात्र)की धनराशि के राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वनभूमि एवं निजी भूमि आ कार्यवाही की जाय तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर की जाय,कार्य प्रार पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा ।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृ होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से कदापि न किया जाय,भूमि की उपलब्धता सुनिशिचत करके,अथवा कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा ।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार स अभियन्ता से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, कार्य करते समय टैण्डर विषयक नियमो का अनुपालन सु जायेगा ।

15 MAR
लोक निर्माण विभाग

P.C. Allotted

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड ,लो0नि0वि0
(पिथौरागढ़)

6. यदि उपरोक्त कार्यो की पूर्व मे किसी अन्य योजना /शासनादेश के द्वारा स्वीकृति प्रदान हो,तो उस कार्य हेतु धराशि का आहरण नही किया जायेगा

7 कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए लोक विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सु करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का उच्च अधिकारियो एवं भुगर्भवेत्ता के साथ भली भाँति अवश्य करा ले, निरीक्षण के पश्चात् स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप क जाय ।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

11. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा, कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता का होगा।

12. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/ वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की आवश्यकता हो,तो उनमें व्यय क प्रत्येक कार्य के आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम की स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2004 तक उपयोग कर लिया जाय ।

13. आगामी किश्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय ।

14– क्रमांक– 63 पर अंकित कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003–04 मे अनुदान स लेखाशीर्षक 5054 सडको तथा सेतुओ पर पूँजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडके–आयोजनागत व्यय–02 अनुसूचित जाति/जनजाति स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अधीन –02–नया निर्माण कार्य–24 कार्य तथा शेष योजनाओ का व्यय इसी लेखाशीर्षक मे 03–राज्य सेक्टर–02–नया निर्माण कार्य–24 कार्य के नामे डाला जायेगा ।

15– आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या –3035/ वित्त अनुभाग–3/2004 28,फरवरी,, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

P.C. [signature]

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड ,लो०नि०वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

(टी०पी० पन्त)
संयुक्त सचिव।

क्रमशः3

(2.2)

④

78	खाला–गुरजिला–बिरगुल मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00कि0मी0	144.00	144.00	0.50
79	रिठा–बिलवालगांव –मिडार मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00कि0मी0	72.00	72.00	0.10
80	रानीखेत–गगचोला–गगारा मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00कि0मी0	139.00	139.00	0.50
81	चौबटिया–कुनलाखेत मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 5.00 कि0मी0	69.50	69.50	0.10
82	रापड–नोघरिया–कुमनाकोट–जीनापानी–उगलिया मोटर मार्ग लम्बाई 2.00कि0मी0	27.80	27.80	0.05
83	चाराकोट–रामेश्वरम मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 कि0मी0	57.60	57.60	0.10
84	चौन–मंच मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 12.00कि0मी0	172.80	172.80	0.50
85	लोहाघाट व चम्पावत नगरों में रिंग रोड का निर्माण लम्बाई 8.00तथा 7.00कि0मी0	216.00	216.00	0.50
86	ओगला–ओगलागांव–पाटकगांव–जेठीगांव–नरेथ पंतगांव–डूबालगांव –मानीचौरा मोटर मार्ग लम्बाई 10.00कि0मी	144.00	144.00	0.50
87	नैलडा–खतेडा –आदिचौरा मोटर मार्ग लम्बाई 10.00कि0मी0	144.00	144.00	0.50
88	छेडा–रौडीपाली–रसौपाटा मोटर मार्ग लम्बाई 10.00 कि0मी0	144.00	144.00	0.50
89	खेती–सेराघाट–धुरागांव मोटर मार्ग लम्बाई 5.00कि0मी0	72.00	72.00	0.10
90	बडडा–चमौटर–हल्दू–पंचेश्वर मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 10.00कि0मी0	144.00	144.00	0.50
91	पाताल भुवनेश्वर–चौडमनिया मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00 कि0मी.	72.00	72.00	0.10
92	बनकोट–सप्तेश्वर–बटगीर मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00कि0मी0	28.80	28.80	0.05
93	अगस्तन बैण्ड–आवलाघाट मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00 कि0मी0	144.00	144.00	0.50
94	छायाकूडी–मल्ला गरखा–चण्डीघाट	72.00	72.00	0.10

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

(2.2) चण्डाक बांध आंवलाघाट गंगोलीहाट मोटर मार्ग

(5)

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 28 मार्च, 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में 232(दो सौ बत्तीस) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 232 कार्यों की लागत रू0 12255.16 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी 232 कार्यों पर रूपये 11585.35 लाख (रूपये एक सौ पन्द्रह करोड पिचासी लाख पैंतीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न के कालम–5 के विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम–06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 2.32 लाख (रू0 दो लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते।

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवां बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी।
5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।
10. कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शा0सं0–452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 एवं उनके द्वारा समय–2 निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

ता0 31/3/06

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड ,लो0नि0वि0
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

मौ0: इस शासनादेश की प्रतिलिपि कुमाईं शेग 2 को तत्काल भिजवाने का कष्ट करें।

28.3.06

(2.2)

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13.. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

14.. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-467/XXV(2)/2006 दिनांक 25 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- 232 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-572(1)/III-2/05,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल/कुमांयू मण्डल, पौडी /नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4. मुख्य अभियन्ता, गढवाल /कुमांयू क्षेत्र, लो.नि.वि., पौडी/अल्मोडा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

2461 2wy 31/5/06

P.C. [illegible]

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
[illegible] (पिथौरागढ़)

(2.2)

137.	जनपद चमोली के विकास खण्ड नारायणबगड में कुलसारी आलकोट धारवारम मोटर मार्ग का ग्राम गैरवारम तक विस्तार	...... 308.80 — 8 km	168.00	168.00	0.01
138.	जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक बांस आवलाघाट गंगोलीहाट मोटर मार्ग निर्माण कार्य	14.00+ 80मी. सेतु	417.38	417.38	0.01
139.	चमोली में गौचर–सिद्वोली मोटर मार्ग के किमी. 19.00 से मंगणा–ढमढमा–मजखेत होते हुये बरतोली मोटर मार्ग का विस्तार किमी. 2.50 से 6.50	4.00	67.20	67.20	0.01
140.	नैनीताल के अन्तर्गत हिम्मतपुर ब्लाक से सक्खनपुर मार्ग का बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा सुधार कार्य	1.400	16.41	15.68	0.01
141.	पौडी में खिर्सू–श्रीनगर के अवशेष भाग का पक्कीकरण	18.00	329.30	329.30	0.01
142.	हरिद्वार में बढ़ेडी राजपूतान से भारापुर होते हुये मरगूबपुर, बुड्ढाहेडी अलावल पुर की ओर सड़क निर्माण	14.00	486.30	479.14	0.01
143.	जनपद हरिद्वार में सिकरौढ़ा से हलजोरा तक श्री रशीद मसूद, सांसद के फार्म के सामने तक सड़क का जीर्णोद्वार एवं पुनरोद्वार का कार्य	5.00	79.00	78.27	0.01
144.	जनपद हरिद्वार में लंढौरा, गाधारोना, भुक्कनपुर से मुण्डलाना तक सड़क मरम्मत एवं प्रीमिक्स का कार्य	6.00	89.70	89.70	0.01
145.	ग्राम नत्थनपुर में रिंग रोड नत्थनपुर मार्ग (विवेकानन्द ग्राम) से मार्शल की बाउण्ड्री तक सी.सी. मार्ग निर्माण	0.150	7.00	7.00	0.01
146.	नकरौन्दा मार्ग से गुरूद्वारा मार्ग के मध्य चित्रा विहार में सी0सी0 मार्ग निर्माण	0.200	11.80	11.80	0.01
147.	जनपद देहरादून में सुद्वोवाला–माण्डूवाला –भाऊवाला मोटर मार्ग का निर्माण	8.300	338.00	321.50	0.01
148.	बागेश्वर में कौसानी–बैजनाथ मोटर मार्ग का सुधार कार्य	17.40	464.45	459.00	0.01
149.	जनपद हरिद्वार में राज्य योजना के अन्तर्गत भगवानपुर–चुड़ियाला–भलस्वा–गाज–सुनहेटी–बाले की –रोहालकी दयालपुर–खानपुर–भगवानपुर मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं पुनः निर्माण	24.50	353.50	340.54	0.01
150.	जनपद देहरादून में चम्बा–मसूरी मार्ग के किमी. 51–52 में रेलिंग लगाने का कार्य	......	105.00	100.00	0.01
151.	जनपद पौडी गढ़वाल में नीलकण्ठ महादेव मन्दिर मार्ग स्थित जिला पंचायत की पार्किंग स्थल से पार्वती मन्दिर, नीलकण्ठ महादेव मन्दिर, भराल गॉव होते हुये डी.एल.बी. मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का निर्माण	12.00	166.80	166.80	0.01
152.	देहरादून में डोईवाला ब्लाक में कालू वाला पानी की टंकी के पास से कालू सिद्वबाबा मन्दिर होते हुए श्री बचन सिंह भण्डारी के घर तक मार्ग का पुनःनिर्माण	3.00	47.55	44.50	0.01

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
बेरीनाग (पिथौरागढ़)